न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1, कानपुर देहात।

उपस्थितः श्री अंकुर सिंह सोलंकी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

(J.O. CODE– UP 3511)

प्रकीर्ण वाद संख्या–1167/2026

प्रियंका बनाम भारत आदि

धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना– रसूलाबाद, कानपुर देहात।

दिनांक–24.06.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली आदेशार्थ नियत है।

प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी प्रियंका पुत्र राजकुमार राठौर ग्राम अंगदपुर, थाना–रसूलाबाद, जिला–कानपुर देहात कि निवासिनी है एवं शान्तिप्रिय व कानून पसन्द महिला है। प्रार्थिनी का विवाह हिन्दू रीतिरिवाज से ग्राम–रहीमपुर विषधन थाना–ककवन निवासी जगदीश राठौर के पुत्र भारत के साथ दिनांक–20.04.2026 को सम्पन्न हुआ था। विवाह के समय प्रार्थिनी के माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दो लाख रूपये नगद व दो लाख रूपये का घरेलू सामान देते हुए कुल 7 लाख रूपये खर्च किये थे। विवाह के दूसरे दिन ससुराली लोग पति भारत पुत्र जगदीश राठौर, ससुर जगदीश राठौर पुत्र नामालूम, सास सुखरानी पत्नी जगदीश राठौर, जेठ गोविन्द पुत्र जगदीश राठौर, जिठानी पत्नी गोविन्द राठौर दिये गये दान दहेज से सन्तुष्ट नही थे तथा अतिरिक्त दहेज में 50,000/–रू० व एक भैंस की मांग करके प्रार्थिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे तथा भूखा रखकर कमरे मे बन्द देते थे। जिसकी जानकारी प्रार्थिनी ने फोन द्वारा अपने मायके वालो को दी थी। जब प्रार्थिनी के मायके वालों द्वारा उपरोक्त लोगों की मांग को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त की तो उपरोक्त लोग प्रतिदिन प्रार्थिनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे दिनांक 25–04–2026 को प्रार्थिनी के मायके वाले प्रार्थिनी की चौथी चलाने गये तो उपरोक्त ससुरालीजनों ने बिना मांग पूरी हुए चौथी की विदा करने से मना कर दिया। दिनांक 30–04–2026 को उपरोक्त लोगो ने एकराय होकर प्रार्थिनी से गाली गलौज व मार पीट कर समस्त स्त्रीधन व कपड़े छीनकर घर से धक्के मारकर निकाल दिया, जानकारी होने पर प्रार्थिनी के पारिवारिक सदस्य प्रार्थिनी को लेकर प्रार्थिनी की ससुराल पहुंचे किन्तु उपरोक्त लोग बिना अतिरिक्त मांग पूरी हुये प्रार्थिनी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुए। प्रार्थिनी/वादिनी ने घटना के सम्बन्ध में लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र थाना–ककवन में जनपद–कानपुर नगर मे दिया किन्तु पुलिस द्वारा घरेलू मामला बताकर मुकदमा पंजीकृत करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 01–05–2026 को प्रार्थिनी ने घटना के सम्बन्ध एक लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र थाना रसूलाबाद मे दिया पुलिस द्वारा प्रकरण की जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन देकर वापस कर दिया, लगभग एक माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी पुलिस द्वारा प्रार्थिनी का

मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। प्रार्थिनी/वादिनी ने दिनांक को एक शिकायती प्रार्थनापत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात को प्रेषित किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

प्रार्थिनी ने अपने कथन के समर्थन में थाना प्रभारी रसूलाबाद को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात को प्रेषित प्रार्थना पत्र व डाक रसीद, व स्वयं का आधार कार्ड दाखिल किया है।

थाना हाजा से प्राप्त आख्यानुसार उक्त मामले में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र के कथनों का सम्यक् परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी द्वारा विपक्षीगण पर अतिरिक्त दहेज में 50,000/– रू० व एक भैंस की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है।

घटित कथित घटना से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रार्थिनी के ज्ञान में हैं। ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके लिए विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत होता हो। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्वयं जांच किया जाना न्यायोचित है। अतः मामला परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक–20.07.2026 को पेश हो।

(अंकुर सिंह सोलंकी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1,
कानपुर देहात।
(J.O. CODE– UP 3511)